रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221335
CG-DL-E-25082020-221335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2534]	**नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942**
No. 2534]	**NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

का.आ. 2861(अ).—यत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय में लेखन सामग्री नियंत्रक, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में कुछ समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

और यत: भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता में लेखन सामग्री नियंत्रक का पद तत्कालीन पदधारी की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप 01 अप्रैल, 2018 से रिक्त हो चुका है और उसके कुछ और समय तक रिक्त बने रहने की संभावना है।

और यत: श्रीमती नीता तहिलियानी, उप सचिव (बजट), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को लेखन सामग्री नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

और यत: भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में लेखन सामग्री नियंत्रक के पद पर नियमित पदाधिकारी की अनुपस्थिति में भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में सुचारू कार्य के लिए लेखन सामग्री नियंत्रक द्वारा प्रयोग के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए किसी की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता है।

अब, इसलिए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में श्रीमती नीता तहिलियानी, उप सचिव (बजट) को भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में लेखन सामग्री नियंत्रक के पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) के संबंध में लेखा सामग्री नियंत्रक में निहित नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/1/2010-लेखन सामग्री (खण्ड-II)]

सी. वी. सारदा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 24th August, 2020

S.O. 2861(E).—Whereas, the Controller of Stationery, Government of India Stationery Office, Kolkata, a Subordinate Office of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Government of India Stationery Office, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

And whereas, the post of Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office, Kolkata had fallen vacant on the 1st day of April 2018, consequent upon the completion of deputation period of the then incumbent and is likely to be vacant for some time more;

And whereas, Smt. Neeta Tahiliani, Deputy Secretary (Budget), Ministry of Housing and Urban Affairs has been given additional charge of the Controller of Stationery;

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Controller of Stationery for smooth functioning in the Government of India Stationery Office in the absence of a regular incumbent to the post of Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of Rule 9 and sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby authorizes Smt. Neeta Tahiliani, Deputy Secretary (Budget) in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Controller of Stationery in respect of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Government of India Stationery Office till a regular appointment is made to the post of Controller of Stationery, in the Government of India Stationery Office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12025/1/2010-Sty. (Vol.-II)]

C. V. SARADA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA